राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–श्री मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.

1. राजस्व वाद संख्या– 1/2024
2. जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2024/2
3. दायर दिनांक–01.01.2024
4. निर्णय दिनांक–18.09.2024

1. गोपाल पुत्र पूसा जाति जाट नि0 ग्राम पालड़ी भोपतोतान तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर

....वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़, जिला अजमेर

....प्रतिवादी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा0का0अधि0 1955 व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राज0 अधिनियम 1956

निर्णय

उपस्थिति– 1. श्री विजय पारीक वकील वादी/प्रार्थी
2 पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी की संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि वाकै राजस्व ग्राम पालड़ी भोपतोतान पटवार हल्का भदूण भू–अ0नि0 क्षेत्र भदूण तहसील रूपनगढ़ में स्थित हैं जिसके वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अनुसार खाता संख्या नया 72 के ख0न0 384/184 रकबा 2.5888 है0, ख0न0 388/184 रकबा 5.2665 है0 व ख0न0 394/184 रकबा 1.4562 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 9.3115 है0 अवस्थित है जिसमें वादी के नाम हिस्सा 1/6 संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। वाद वर्णित खाता एवं खसरा नम्बरान की आराजीयात में राजस्व रिकर्ड जमाबन्दी अनुसार वादी का हिस्सा अन्तर्निहित है। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गोपी पुत्र पुसा का इन्द्राज किया हुआ है जबकि वादी का सही एवं वास्तविक नाम गोपाल पुत्र पूसा है। वाद वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नामान्तरकरण दर्ज करते समय वादी को जानकारी नहीं थी क्योंकि अशिक्षित है व नामान्तरकरण की समझ वादी को नहीं थी। इसलिए सहवन से दर्ज हो गया था। वादी के आधार कार्ड, बैंक पास–बुक, मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड पेन कार्ड, सरकारी किसान कार्ड में गोपाल पुत्र पूसा नाम दर्ज है। वादी की कृषि भूमि में वादी का नाम गोपी पुत्र पुसा दर्ज होने से वादी के अलग–अलग नाम अंकित होने से वादी को किसान कार्ड बनवाने, राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करने एवं अपनी कृषि भूमि का विकास करने व अन्य मुआवजा प्राप्त करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जबकि वादी गोपी पुत्र पुसा व गोपाल पुत्र पूसा दोनों नाम का वादी एक ही व्यक्ति है जिसके संबंध में कार्यालय [illegible] भदूण द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया है। वाद वर्णित आराजी में वादी का नाम गोपी [illegible] का इन्द्राज किया हुआ है जबकि वादी का सही एवं वास्तविक नाम गोपाल पुत्र [illegible] के नाम घोषणात्मक डिक्री व इन्द्राज को दुरूस्त करवा कर राजस्व रिकार्ड [illegible] के नाम [illegible]करण करवा कर वादी का सही नाम गोपाल पुत्र [illegible] दुरूस्ती करवाने के [illegible] पत्र न्यायालय में पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादी भूमिधारी होने से वाद में पक्षकार संयोजित किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2024.09.24 13:22.38 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जरिये सम्मन की गयी। प्रतिवादी का सम्मन तामिलशुदा प्राप्त। प्रतिवादी (तहसीलदार रूपनगढ़) की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया गया। पैरोकार सरकार ने अपने जवाब में वादी द्वारा वाद पत्र के साथ संलग्न आधार कार्ड, राशनकार्ड, आदि दस्तावेज के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अपना नाम गोपी पुत्र पूसा के स्थान पर गोपाल पुत्र पूसा करवाना चाहता है तो गोपी के स्थान पर गोपाल किये जाने में कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया है। प्रकरण में वकील वादी ने शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी0पी0सी0 पेश किया, जिस पर वादी के बयान दर्ज किये गये तथा वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में फर्द दस्तावेज यथा परिवार राशन कार्ड, बैक पास बुक, सहकारी किसान केडिट कार्ड की पास बुक, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड की प्रतिलिपियां व ग्राम पंचायत भदूण द्वारा जारी प्रमाण–पत्र पेश किया है।

प्रकरण में वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी। वकील वादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादी की वाद वर्णित कृषि भूमि में वादी का गलत नाम गोपी पुत्र पुसा दर्ज है जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम गोपाल पुत्र पूसा के नाम उद्घोषणा की डिकी प्रदान करके उक्त नाम का अंकन राजस्व रिकार्ड में किये जाने हेतु वादी के पक्ष में आदेश फरमाने की कृपा करावें। तहसीलदार रूपनगढ़ ने दौराने बहस अपने जवाब के आधार पर वादी के दस्तावेज अनुसार सही व वास्तविक नाम गोपाल पुत्र पूसा शुद्ध किये जाने हेतु अनुशंषा जाहिर की।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन व बहस पर मनन किया। वादी ने वाद पत्र के समर्थन में फर्द दस्तावेज व साक्ष्य यथा परिवार राशन कार्ड प्रतिलिपि, बैंक पास बुक प्रतिलिपि, सहकारी किसान केडिट कार्ड प्रतिलिपि, मतदाता पहचान पत्र प्रतिलिपि, आधार कार्ड, प्रतिलिपि, पेन कार्ड प्रतिलिपि व ग्राम पंचायत भदूण द्वारा जारी प्रमाण–पत्र पेश किया है। उक्त दस्तावेजात् के आधार पर वादी का नाम गोपाल पुत्र पूसा सिद्ध होता है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम पालड़ी भोपतोतान के खाता संख्या नया 72 के ख0न0 384/184 रकबा 2.5888 है0, ख0न0 388/184 रकबा 5.2665 है0 व ख0न0 394/184 रकबा 1.4562 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 9.3115 है0 भूमि में वादी के दर्ज नाम गोपी पुत्र पुसा के स्थान पर गोपाल उर्फ गोपी पुत्र पूसा दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया. गया व शामिल पत्रावली किया गया।

15-9-2024

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ अजमेर

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2024.09.24 13:22:38 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री
(आर्डर 20, रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)
(Civil procedure code Appendix D-1)

आज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रूपनगढ (अजमेर)

व इजलास श्री मुकेश चौधरी, आर.ए.एस
राजस्व वाद सं0– 1/2024

1. गोपाल पुत्र पूरा जाति जाट नि0 ग्रांग पालड़ी गोपतोतान तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर

....वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़, जिला अजमेर

....प्रतिवादी

राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा0का0अधि0 1955 व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राज0 अधिनियम 1956

यह मुकदमा आज जरिये इजलास कतई रू–ब–रू श्री मुकेश चौधरी, आर.ए.एस व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दई व प्रतिवादी मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर डिक्री किया जाकर ग्राम पालड़ी गोपतोतान के खाता संख्या नया 72 के ख0न0 384/184 रकबा 2.5888 है0, ख0न0 388/184 रकबा 5.2665 है0 व ख0न0 394/184 रकबा 1.4562 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 9.3115 है0 भूमि में वादी के दर्ज नाम गोपी पुत्र पुसा के स्थान पर गोपाल उर्फ गोंपी पुत्र पुसा दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

असप्त गेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18.09.2024 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2024.09.24 13:22:38 IST
Reason: SelfAttested